न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 111/2023

उनवान

1–2 छगना उर्फ ज्ञाना पुत्र हीरा गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
3–5 प्रहलाद, गिरधारी, मदन पिता रामलाल गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1–3 रामलाल, बालकिशन, बन्ना पुत्र गोकल धाकड़ निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
4– घीसू पिता गोकल गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
5– कालू पिता बक्शा गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
6–7 ओनाड, बाला पिता धन्ना गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री लालाराम गुर्जर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **26/09/2023**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **माताजी का खेड़ा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 352 रकबा 0.47 है0, 416 रकबा 0.24 है0, 721 रकबा 0.23 है0, 723 रकबा 0.11 है0** कुल किता **4** रकबा **1.05** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 26.07.2023 को **विपक्षीगण संख्या 1, 2 लगायत 4, 6, 7** बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए एवं विपक्षी सं0 04 को सम्मन अदम तामिल लौटा। दिनांक 18.09.2023 को **विपक्षीगण संख्या 1, 2 लगायत 4, 6, 7** बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 5** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम माताजी का खेड़ा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **माताजी का खेड़ा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् किता **4 रकबा 1.05 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **26/09/2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 111/2023

उनवान

1–2 छगना उर्फ ज्ञाना पुत्र हीरा गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

3–5 प्रहलाद, गिरधारी, मदन पिता रामलाल गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1–3 रामलाल, बालकिशन, बन्ना पुत्र गोकल धाकड़ निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

4– धीसू पिता गोकल गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

5– कालू पिता बक्शा गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

6–7 ओनाड, बाला पिता धन्ना गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री लालाराम गुर्जर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **26/09/2023**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **माताजी का खेड़ा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 352 रकबा 0.47 है0, 416 रकबा 0.24 है0, 721 रकबा 0.23 है0, 723 रकबा 0.11 है0** कुल किता **4** रकबा **1.05** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 12.07.2023 को **विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 4, 6, 7** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा दिनांक 28.08.2023 को **विपक्षीगण सं0 5** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी एवं अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण सं0 01 की तलबी हेतु पुनः प्रोसेस सम्मन प्रस्तुत किया गया जिससे विपक्षी सं0 01 की तलबी की गयी। नियत पेशी दिनांक 20.09.2023 को विपक्षी सं0 01 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 26.09.2023 को विपक्षी सं0 01 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम माताजी का खेड़ा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **माताजी का खेड़ा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् किता **4 रकबा 1.05 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **26/09/2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–शाहपुरा (राज.)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 111 / 2023

उनवान

1–2 छगना उर्फ ज्ञाना पुत्र हीरा गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
3–5 प्रहलाद, गिरधारी, मदन पिता रामलाल गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1–3 रामलाल, बालकिशन, बन्ना पुत्र गोकल धाकड़ निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
4– घीसू पिता गोकल गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
5– कालू पिता बक्शा गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
6–7 ओनाड, बाला पिता धन्ना गुर्जर निवासी माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री लालाराम गुर्जर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 26/09/2023

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **माताजी का खेड़ा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 352 रकबा 0.47 है0, 416 रकबा 0.24 है0, 721 रकबा 0.23 है0, 723 रकबा 0.11 है0** कुल किता 4 रकबा **1.05** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 26.07.2023 को **विपक्षीगण संख्या 1, 2 लगायत 4, 6, 7** बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए एवं विपक्षी सं0 04 को सम्मन अदम तामिल लौटा। दिनांक 18.09.2023 को **विपक्षीगण संख्या 1, 2 लगायत 4, 6, 7** बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 5** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम माताजी का खेड़ा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **माताजी का खेड़ा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् किता **4 रकबा 1.05 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **26/09/2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा